राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2005/2013 एवं 2006/2013..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स जगदीश इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, 68, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'डी', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/2014	**एकलपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश क्रमशः अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 197/13–14 एवं अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 198/13–14 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 14.10.2013 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 17.5.2010 को किया जाने पर मौके पर अघोषित खरीद एवं उचन्ती बिक्री किया जाना एवं लेखा–पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किया जाना पाया गया। इस बाबत वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–डी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी को जारी किये गये नोटिसों की पालना में अपीलार्थी द्वारा विवादित संव्यवहारों से सम्बन्धित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन की मंशा से माल का क्रय–विक्रय किया जाना अवधारित करते हुए अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 व 2010–11 (1.4.2010 से 17.5.2010 तक) के लिये अधिनियम की धारा 25, 55, 58 व 61 के तहत पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.7.2010 को पारित किये गये। अपीलार्थी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.8.2011 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण आदेश को कतिपय निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिप्रेषण आदेशों की अनुपालना में प्रकरणों में दिनांक 27.8.2013 को पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए निम्न सारणी अनुसार कर, ब्याज व शास्ति की मांग कायम की गई :– लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2005/2013 एवं 2006/2013..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स जगदीश इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, 68, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'डी', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

9/4/2014

अपील संख्या	वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति	योग
2005/13	2009–10	51,518	23,698	1,03,036	1,78,252
2006/13	2010–11	67,643	25,027	1,40,360	2,33,030

अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों से सृजित मांग की वसूली के स्थगन हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.10.2013 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए शास्ति राशि के लगभग राशि क्रमशः रूपये 1,00,000/– व रूपये 1,40,000/– की वसूली को स्थगित करते हुए शेष राशि वसूलनीय सम्बन्धी अवधारित की गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूली योग्य बकाया राशि रूपये 73,100/– व रूपये 86,153/– की वसूली कार्यवाही स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी श्री विक्रय गोगरा एवं विभागीय पैरोकार विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री वैभव कासलीवाल की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया, कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही नियम 50 की पालना किये बिना की गई है, अतः विवादित आदेश प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध पारित किये गये हैं। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई व वांछित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। मौके पर पायी गयी अघोषित खरीद/बिक्री अपंजीकृत व्यवहारियों से की गई है, जिसका समस्त इन्द्राज उनकी लेखा–पुस्तकों में किया हुआ है। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, शेष राशि का स्थगन प्रदान नहीं किये जाने का कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। उक्त कथन के साथ, विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अधीनस्थ अधिकारियों के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण के दौरान मौके पर अघोषित खरीद एवं बिक्री किया जाना पाया गया। इस बाबत अपीलार्थी को जारी किये गये विभिन्न नोटिसों की पालना में उक्त संव्यवहारों से सम्बन्धित न तो कोई

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2005/2013 एवं 2006/2013..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स जगदीश इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, 68, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'डी', जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/4/2014	दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं ना ही लेखा–पुस्तकों में इन्द्राज होना प्रमाणित किया गया। सर्वेक्षण की कार्यवाही स्वयं अपीलार्थी एवं दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति की गयी है। मौके पर उपलब्ध माल की विस्तृत फर्द तैयार की जाकर, उसकी एक प्रति अपीलार्थी को प्रदान की गई है। मौके पर दस्तावेजों एवं उपलब्ध माल के भौतिक सत्यापन से पाया गया कि व्यवहारी द्वारा बिना बिल प्राप्त किये माल क्रय किया गया है तथा बिना बिल जारी किये माल का विक्रय किया गया है। उक्त तथ्य व्यवहारी द्वारा अपने जवाब में भी स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी की करापवंचन सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है। इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिकतम राशि का स्थगन प्रदान कर, अपीलार्थी व्यवहारी को पर्याप्त राहत प्रदान की जा चुकी है तथा शेष राशि के सम्बन्ध में सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये अपील स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनने एवं प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध सृजित मांग राशि में से शास्ति राशि (लगभग) की सीमा तक वसूली पर रोक आदेश पारित किये जाकर अपीलार्थी व्यवहारी को अधिकतम राहत प्रदान कर दी गयी है तथा शेष वसूल योग्य राशि बाबत मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना एतद्द्वारा अस्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थी की अपीलों का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड 9/4/14 अजमेर	